समाचार

39 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया

(नगर निगम एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने की कार्यवाही)

कोरबा 26 जुलाई 2017 –नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत कोरबा एवं टी.पी.नगर क्षेत्र की 05 दुकानों से आज 39 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया, नगर निगम एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने उक्त क्षेत्र में दुकानों के निरीक्षण के दौरान जब्ती की कार्यवाही की, अधिकारियों ने व्यवसायियों को समझाईश दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।

निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन के लिए नियम 2011 व 2016 बनाया गया है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर कड़े निर्देश जारी किए हैं, उन्होने बताया कि इन निर्देशों के परिपालन में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग एवं उनके भण्डारण आदि में कड़ी नजर रखी जा रही है, इसी कड़ी में आज कोरबा एवं टी.पी.नगर क्षेत्र की अनेक दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 05 प्रतिष्ठानों से लगभग 39 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। जिन प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया, उनमें शारदा सेल्स, बतरा किराना स्टोर्स, ताज स्टोर्स, मां सर्वमंगला नमकीन एवं बलराम सचदेव की दुकान व प्रतिष्ठान शामिल हैं, निरीक्षण के दौरान व्यवसायियों को समझाईश दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग अपने प्रतिष्ठानों में कदापि न करें तथा प्लास्टिक प्रबंधन नियम व एन.जी.टी. के निर्देशों का पालन करें। कार्यवाही के दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के. सारस्वत, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डॉ.संजय तिवारी, सुनील वर्मा, राजस्व अधिकारी श्रीधर बनाफर तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।